IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

Order

The 28th September, 1984

No. 9445/153-WA.—Whereas the Land described in the Haryana Government Notification No. 5537/153-WA, dated 13th June, 1984 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana, for a public purpose, namely, for the construction of Khot Kalan Disty. in reach R. D. 0 to 19800 taking off at R. D. 39230-Left Barwala Branch in Villages Makhand, Uchana Khurd, Burain and Bhangra in tehsil Narwana, district Jind.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Irrigation Branch, Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid Notification.

No. 9453/153-WA.—Whereas the Land described in the Haryana Government Notification No. 5537/153-WA, dated 13th June, 1984 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana, for a publice purpose, namely, for the construction of Khot Kalan Disty. in reach R. D. 19800 to 33550 taking of at R. D. 39230-Barwala Branch in Village Khot Kalan, tehsil Hansi, district Hissar.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Irrigation Branch, Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid Notification.

By order of the Governor of Haryana.

M. P. VACHHER,
Superintending Engineer,
Bhakra Canal Circle,
Kaithal.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 4 सितम्बर, 1984

सं. ओ. वि./एफ.डी./74-84/33875.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. फरीदाबाद पोरजिंग प्रा. लि. प्लाट नं. 54 सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जोगेंद्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495/जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जोगेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./सोनीपत/195-83/33882.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एस्के. इंटरनैशनल एम-4, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया सोनीपत के श्रमिक श्री राम सेवक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. ओ. (ई) -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम सेवक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

बी. पी. सहगल,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 13 अगस्त, 1984

सं. ओ. वि./एफ.डी/14-84/29992.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. ऐशिया फाउण्डरी प्लाट नं. 258 सैक्टर-24, फरीदाबाद, 2. मैनेजिंग डायरैक्टर, मै. ऐशिया फाउण्डरी मार्फत मै. राजेन्द्रा फाउण्डरी प्लाट नं. 32., जंगपुरा रोड भोगल दिल्ली के श्रमिक श्री जगधारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जगधारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

सं. ओ. वि/एफ. डी/14-84/30000.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी, प्लाट नं. 258, सैक्टर-24, फरीदाबाद, 2. मैनेजिंग डायरैक्टर, मै. ऐशिया फाउण्डरी मार्फत मै. राजेन्द्रा फाउण्डरी, प्लाट नं. 32, जंगपुरा रोड भोगल दिल्ली के श्रमिक श्री शिवचरण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित है :—

क्या श्री शिवचरण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?